

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2924 / 2023


दिनांक : 29.09.2023

श्रीमती मनीषा चौधरी -II (RJ0960), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सिरोही को दिनांक 31.08.2023 से 02.09.2023 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 30.08.2023 एवं 03.09.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती चौधरी-II की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सिरोही के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/126/2015/6337

दिनांक 29.09.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरोही को उनके पत्रांक 3763 दिनांक 14.09.2023 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती मनीषा चौधरी -II (RJ0960), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सिरोही।
4. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सिरोही।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही।


29.9.2023

सहायक रजिस्ट्रार